।।कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी,जयपुर।।

क्रमांक:-व-15(37)आरपीए/जन/सोलर लाईट/2022/6365-79

विनांक:- 6 9 22

खुली निविदा सूचना

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में रिथत सोलर लाईट हेतु वार्षिक रख-रखाव अनुबन्ध के लिए मोहर बन्द निविदार्थ आमन्त्रित की जाती है निविदा सूचना www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल एवं www.rpa.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर

	आईटम	अनुमानित राशि क.	बयाना राशि	falter mot	I A s
1.		निविदा फार्म मूल्य	A CONTRACT OF MARK		
*	संस्था रिथत सोलर लाईट का वार्षिक रख-रखाव के अनुबन्ध हेतु।	3.00/- लाख	6000/一等		तिथि
				200.00 ₹50.	15.07.2022
	Annexure -A के अनुसार)				

निविदा विहित्त निविदा प्रारूप में प्रस्तुत की जायेगी, निविदा प्रपत्र आरपीए, जयपुर (सामान्य शाखा) से निर्धारित शुल्क (वैकर चैक / डिमांड ड्रापट) जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है।

बोलीदाताओं को बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से तकनीकी एवं विस्तीय बिंड अलग-अलग

- निविदायें मोहर बंद लिफाफो में जिस पर स्पष्ट रूप से कार्य का नाम लिखा हो दिनांक 15.07.2022 दोपहर 1.00 बजे तक या इससे पूर्व कार्यालय समय में आरपीए . जयपुर (सामान्य शाखा/बिंड बॉक्स) में जमा करायी जा सकती हैं। प्राप्त निविदायं दिनांक 15.07.2022 को 03.30 पी.एम. पर क्रेता समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली
- बयाना राशि के बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

निविदा के साथ जी,एस.टी. एजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिर्टन एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।

जो निविदाएँ निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की जावेगी या विहित उपर्युक्त दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त होगी

निविदा शर्ते जी,एफ,एण्ड ए,आर. रूल्स एण्ड आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार मान्य होगी। क्रय समिति को किसी भी निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

अति महानिदेशक पुलिसं, एवं निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

 निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान जयपुर को 10 प्रतियों में भेजकर निवेदन हैं कि निविदा सूचना को तीन दिवस तक आवश्यक रूप से एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित करावें।

समस्त नहानिरीक्षक पुलिस रेंज को भेजकर नियेदन है कि आपके अधीनस्थ जिलों के ठेकेदारों को सूचित करने

सहायक निदेशक (प्रशासन) एवं नोडल अधिकारी आर.पी.ए. जयपुर।

लेखाधिकारी, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

5. द्वीसामर आर.पी.ए. जयपुर को भेजकर (www.sppp.rajasthan.gov.in) एवं www.rpa.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर मय खुली निविदा सूचना, निविदा प्रारूप एवं शर्तों के अपलोड करवाना सुनिश्चित करावे। प्रमारी सीडीपीएसएम/स्टेशनरी/कैशियर, आर.पी.ए. जयपुर।

नोटिस बोर्ड, आर.पी.ए. जयपुर।

अति महानिदेशक पुलिस, एवं निदेशक राजस्थान पुलिस अकादगी, जयपुर।

कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी,जयपुर।

	निविदा प्रारूप			
वित्तीय	विड	(देखिए	नियम	68)

निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि 15.07.2022समय 01.00 बजे तक। निविदा खोलने की अन्तिम तिथि

1.	संस्था स्थित सोलर लाईटों का वार्षिक रख-रखाव संबंधी कार्य हेतु निविदा। निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का स्थाई पता, ई-मेल एवं मोबाईल नंव
	बोलीदाता का :- पैन मूं
	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नं
7. 8. 9. 10. 11. 3	किसको सम्बोधित की गयी—निर्देशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर। सन्दर्भ :— निविदा शुल्क की राशि रू 200/— वैकर चैक/वैंक डिमान्ड ड्रापट सं दिनांक के हारा जमा करा दी गई है। निर्देशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा दी गई निविदा सूचना संख्या दिनांक में वर्णित सभी शतों से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शतों के हमारें द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शतों में सामान का विवरण एवं स्पेशीफिकेशन परिशिष्ट 'ए' वर संलग्न है। निविदाएं तकनीकी बिंड व वित्तीय बिंड अलग—अलग लिफाफों में प्रस्तुत की जावेगी। तकनीकी बिंड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिंड खोली जावेगी। कार्य की मात्रा वास्तविक मांग अनुसार घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है। विवेदादाताओं कर कर वे सं होरा शिंश रू 6000/— बयाना राशि के ले जाम करवाई गई। इसके साथ जी.एस.टी./जी.एस.टी. रिर्टन/पेन कार्ड प्रमाण—पत्र संलग्न करें। वेनिमांता/डीलर आदि का घोषणा पत्र एस.आर. 11 में संलग्न है। निवेदा शर्तों मेरे द्वारा देख ली गयी है तथा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिए गये हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

दाद	दर
नग	(जी०एस०टी० सहित)
1	
1	
1	
1	
1	
1	1

नोट :--

कार्य अविध:- प्रत्येक कार्यादेश के दो दिवस के भीतर मरम्मत कार्य आरम्भ करना होगा।
 दरें शब्दों एवं अंकों मे लिखा जाना अनिवार्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

खुली निविदा एवं संविदा की शतें

टिप्पणी : निविदाओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएं भेजते

- बोलीदाताओं को बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उधित रूप से तकनीकी एवं विस्तीय विड मुहरबंद लिफाफों में प्रस्तुत की जानी होगी। तकनीकी रूप से सफल बिडर की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। तकनीकी रूप से अस्वीकृत बिंड पर विचार नहीं किया जावेगा। (अ) मूल विनिर्माता द्वारा निविदाऐ:-
- - (i) बोली आमंत्रण सूचना में वर्णित सूचना के अनुसार बोलिया संबंधित आईटम के मूल विनिर्माता एवम चसके प्राधिकृत प्रतिनिधि जिसे विशेष रूप से विनिर्माता द्वारा अधिकृत किया गया है, द्वारा दी जाएँगी। बोलीदाता हारा अपने स्टेट्स के संबंध में बोली के साथ संलग्न एस.आर. प्रारूप 11 में घोषणा पत्र भरकर छपलवा करवाया जावेगा एवं लिखित दस्तावेजी साव्य भी बोली के साथ दिये जायेंगे।
 - (ii) बोलीदाला द्वारा संबंधित वस्तु के वास्तविक निर्माता होने के संबंध में उद्योग विभाग/सक्षम प्राधिकारी हारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि बोली के साथ प्रस्तुत करवानी होगी। (व) राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम आएकण:-

 - (i) किसी भी आइटम की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत वे कमें पात्र मानी जावेगी। जिन्हें सूबन एवं लघु उद्यम के रूप में बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व उद्यमिता ज्ञापन 11
- (ii) राजस्थान लोक स्पापन में पारदर्शिका नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11. 15 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाकर वांकित शपथ पत्र बोली के साथ प्रस्तुत किये जावेंगे। जिसके अभाव में योली निरस्त की जा सकती है।
- (iii) राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उधिमेला ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हो के अतिरिक्त अन्य फर्मों को बोलियों के साथ बोली आमंत्रण सूचना के अंकित निर्वारित बोली प्रतिभूति राशि मान्य स्थलप में एवं निर्वारित तरीकें से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। फर्म जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है, उनके द्वारा बोली आमंत्रण सूचना में आंकित बोली प्रतिभूति राशि की बीथाई राशि बोली के साथ मान्य स्वरूपमें एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति प्राप्त उद्यमों की बोली प्रतिभृति राणि ने छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूबना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार शमथ एत्र प्रस्तुत करने पर ही बोली प्रतिभूति राशि में छूट प्रदान की जो सकेगी। उक्त शपथ पत्र के अभाव में छूट का लाम नहीं दिया जावेगा और निर्वारित बोली प्रतिभृति राशि के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- (iv) स्थानीय सुक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए आएक्षित उत्पादों से भिन्न उत्पादों के उपापन हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों को मूल्य एवं क्रथ अधिमान प्रदान किया जायेगा। यह लाम जन्हीं उदामों को देव होगा जो अधिसूचना विनांक 19.11.15 के विन्दु सं. 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप ए में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इन फर्मों द्वारा जद्यमिता ज्ञापन भाग II/UAM एवं बिन्दु सं. 11 के निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत
- (v) राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यागें को बोली प्रपन्न निर्धारित बोली प्रपन्न शुल्क के 0.25 प्रतिशत के बराबर लागत पर उपलब्ध कराया जायेगा जाविक प्रदायक फर्म हारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में राजस्थान लोक खपाएन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित फार्म 'बी' के अनुसार शपथ पत्र बोली के साथ प्रस्तुत करने होंगे। इसके अमाव में बोली निरस्त कर
- (vi) राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना में विभागीय कमेटी हारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्दान की उत्पादन एवं उत्पाद की गुणवत्ता की जांच हेतु सुनिश्चित की जायेगी एवं उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जावेगा।
- (vii) राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 में अंकित नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

सेम्पल;sample)-

- (i) बोली आमंत्रण सूचना में अकित नहीं हाने पर भी कार्यालय द्वारा किसी भी स्टेज पर सैम्पल की मार की जा सकेगी एवं बोलीदाता को छल हेतु सृचित करने पर सैम्पल छपरोक्तानुसार सील कर प्रस्तुत करने
- (ii) विभागीय उपापन (procurement)समिति चाहेगी तो बोली सूचना में अंकित वस्तुओं के सैम्पल की जींच किसी भी राज्य/केन्द्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रयोगशाला से करा सकती है। इस संबंध में विभागीय उपापन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा। यदि सैम्पल की जॉच कराई जाती है तो जाँच शुल्क बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा जो सैम्पल की जाँच के उपरान्त बोलीदाता द्वारा राजकोन में जमा कराया जायेगा। यदि बोलीदाता जॉच शुल्क जमा नहीं कराता है तो बोलीदाता द्वारा जमा करवाई गई
- (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना केता अधिकारी को लिखित में निविदाता द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं
 - (ii) सविदा के सबंधे में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को निविदादाता हारा फर्म में तब तक रवीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एव कंताविकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्त स्वीकृति के लिए निविदा की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकर की गई किसी भागीदारी की रसदी उन सब को बाध्य करेगी तथा यह संविदा के किसी योजना के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुबित (डिसचार्ज) होगा । जीएसटी पंजीयन /आयकर शोधन प्रमाण-पत्र-

- (i) कोई भी डीलर जो अपने व्यवसाय स्थल के राज्य में प्रचलित जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, वह बोली नहीं दे सकेगा। बोलीदाता हारा पंजीयन संख्या का चल्लेख किया जाऐगा। प्रमाण-पन की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- निविदा प्रारूप स्थाही से भरा जायेगा या टंकण से भरा जायेगा। पेन्सिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विद्यार नहीं किया जायेगा। निविदाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा। तथा अन्त में निविदा की
- (दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी) इसमें कोई तुटि या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित छन पर हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
- बोली में दरें अंकित करते समय समस्त करों को शामिल करें तथा समस्त प्रकार के करों की दरें पृथवा थे
- 8. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. बद्धा की जानी चाहिए तथा उसमें सभी प्रभारों को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए । स्थानीय प्रयासों सप्लाई के मामले में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए। सरकार द्वारा कोई गाली भाड़ा या परिवहन प्रभार का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा भाल
- विधि मान्यता:— निविदाएँ उनके खोले जाते के दिनांक से RTPP नियम में उल्लेखित अवधि के लिए विधि
- 10. निविदाता अपनी संविदा को या छनके किसी सारवान भाग की किसी अन्य एजेंसी के लिए नहीं सोंपेगा छ।
- 11. निरीक्षण एवं परीक्षण :- प्रदाय जब भी प्राप्त किया जायेगा चनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जायेगा कि ये विनिदेशों या अनुमादित नमूनों / केटलींग / डेमो के अनुरूप हैं। जहां आवश्यक हो वहा परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण ग्रहों में कराया जायेगा। अनुमोदित नमूनों/केटलॉग/ङमा को अनुरूप नहीं होने पर सम्पूर्ण प्रदाय अथवा उसके अंश को रदद कर दिया जायेगा। रदद किये गये प्रवास को बोलीदाता द्वारा जन्हें परिषद द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदलना
- 12. रद्द किये गये सामग्री को प्रदासकर्ता 15 दिन की अवधि में हटा लेगा, इसके बाद विभाग किसी भी प्रकार
- 13. विभाग के प्राधिकृत अधिकारी या उसका विधियत प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युविलयुक्त उचित सगर्या पर प्रदायकर्ता / ठेकदार के परिसर में जायेगा तथा वह विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसे मी हो किसी भी समय सामग्री का निरीक्षण एवं कांच करने की शक्ति रखेगा।

- 14. परीक्षण प्रमार :-परीक्षण प्रमार विभाग द्वारा वहन किये जायेंगे। यदि बोलीदाता अत्यावस्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता है या यदि परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है तो परीवाण प्रभार वालीवाता द्वारा वहन किये जायेंगे। 15. रदद करना :--
 - (i) निरीक्षण या परीक्षण के दौराम या जो वस्तुएँ अनुमोदित नहीं की जाऐगी, जन्हें रदद किया जावेगा तथ बोलीदाता द्वारा क्रय आदेश में निर्धारित संप्लाई अवधि में ही स्वयं की लागत पर उन्हें बदला जावेगा।

(ii) आपूर्ति किया गया माल या आईटम निर्धारित स्पेसिफिकेशन अथवा वांछित मुणवत्ता का नहीं पाये जान पर बोलीदाता के विरुद्ध विभाग आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

(ii) यदि रदद किये गये सामान को जनहित/सरकारी सामानकी सात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण वा आंशिक रूप से बदलना साध्य नहीं समझा जाये तो विभागीय उपापन समिति बोलीदाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देकर तथा कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दशें में से उपयुक्त राशि की कटौती कर

16. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की और से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अयोग्यता समझी जावेगी एवं ऐसे निविदादाता की निविदा को रदद कर दिया जाएगा।

17. (A)बोली प्रतिसृति (Bid Security) :-निविदा के साथ बोली प्रतिभृति बोली के मिलए प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्रावकलित मुल्य 2 प्रतिशत होगी या राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में यह प्रदाय के लिए प्रवस्त मात्रा 0.25 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों सेव भिन्न रूप्ण उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं विस्त पुननिर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 0.50 प्रतिशत होगी। राज्य सरकार द्वारा रिजस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों से विनिर्दिष्ट रियायती बोली प्रतिभूति ली जा सकेगी। उपापन प्रकिया में भाग रीने वाले प्रत्येक बोली लगाने वाले सं, यदि छुट प्राप्त नहीं हो तो बोली जामंत्रित करने वाली सूचना में यथा-विनिर्दिश्ट बोली प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जायेगी।

(i) राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य बोलीदालाओं द्वारा बोली के साथ वोली आमंत्रण सूचना में अंकित राशि अनुसार निर्धारित प्रक्रिया में बोली प्रतिभूति जमा करवाई जावेगी। बोली प्रतिभृति राशि के बिना प्राप्त बांली, संक्षिप्त कार्यवाही के बाद निरस्त कर दी जायेगी।

(ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को बोली प्रतिभूति राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु बोली प्रतिभूति के स्थान पर, राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन वा नियंत्रित या प्रबंधित उपक्मों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से बोली प्रतिभृति घोषणा ली

(111) राजस्थान राज्य के वह सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जिन्हें उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) चद्यांन आधार मेमोरेण्डम प्राप्त होय के अतिरिक्त अन्य फर्मों की बोलियों के साध्य बोली आमंत्रण सूचना में अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीक से प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा वे उद्यम जिन्हें उद्यमिता जापन II अभिस्वीकृति (EM-II)अथवा उद्योग आजार मेमोरेण्डम प्राप्त है, द्वारा बोली सूचना व अंकित बोली प्रतिभृति राशि की चौथाई राशि बोली के साथ मान्य स्वक्रप में एवं निर्वारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति प्राप्त उद्यमों की बोली प्रतिमृति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जावेगी। उपरोक्त अंकित प्रमाण पत्र बोली जारी होने की अन्तिम तिथि से पूर्व के जारी होने आवश्यक हैं। उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही बोली प्रतिमृति सांश में छूट प्रदान की जा सकेगी। उक्त दोनो प्रमाण पत्रों के अभाव में छूट का लोग नहीं दिया जावेगा और निर्धारित बोली प्रतिभृति राशि के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा। राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र, निर्धारित बोली प्रपन्न शुल्क के 50% मूल्य पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रदायक कर्म द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 वी पालना सुनिश्चित की जाएगी। बोलीसाता द्वारा राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित फार्म 'B' के अनुसार शपथ पत्र ऑनलाईन बोली के साथ उपलब्ध कराने होंगे। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी।

- (अ) नकद- शीर्ष "8443" सिविल निक्षंप- 103- प्रतिमूति निक्षंप" के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान से जमा वारा।
 - शेंडवूल्ड वैक का वैक झापट / किसे चैक के द्वारा जमा कराई जावेगी।
- (स) बोली प्रतिभृति राशि अनुसूचित विक के विनिर्दिष्ट रूप विधान में वैक गारन्टी किसे जारी करने वाले विव रो सत्यापित कराई जावेगी।
- (iv) बोली प्रतिमृति राशि का प्रतिदाय (Refund of Bid security):— असफल बोलीदाता/बोलीदाताओं की बोली प्रतिमृति राशि, बोली पर ऑहिम रूप से निर्णय लेने के बाद, यथाशीघ लीटाई जाएगी।
- (v) (अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या सविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग के पास जमा बोली प्रतिभृति राशि को नई बोलियों के लिए बोली प्रतिभृति राशि के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाऐगा। तथापि मूल रूप से जमा कराई गई बोली प्रतिभृति राशि बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है। बोली प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज देय नहीं होगा।

(vi) सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या उपापन प्रकिया के

18. (B)बोली प्रतिभृति राशि का समपहरण —बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में जब्त

(1)जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेला

(2)जब निविदावाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को यदि कोई हो निष्पादित

(3)जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिमृति शिश जमा नहीं करता है। (4)जब वह निर्धारित समय के अन्तर्गत आदेशों के अनुसार सामग्री आपूर्ति करने में असफल

है अथवा संतोषजनक सेवाएं देने में असमर्थ रहता है।

करार एवं कार्यं सम्पादन प्रतिमृति :--

(i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में रूपये 500/-मूल्य के नॉन ज्लुडिशियल स्टॉम्प पेपर पर (जिसका व्यय स्वयं बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा) एक करार-पत्र निष्पादित करना होगा तथा प्रावधित मूल्य जिसके लिए बोली स्वीकार की गई है उसके मूल्य के

(ii)सामानसम्पादन प्रतिभृति की अभ्यंधाना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वाकत निकायों, रिजर्म्यकृत सांसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रवन में हो और केन्द्रीय सरकार के चपक्रमां के लिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से की जायेगी। तथापि उनसे एक सामानसम्पादन प्रतिमूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में सामानसम्पादित प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

(iii)यदि सफल बोलीदाता उस आईटन के लिए राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जो उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन 11अभिस्तीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हो तो उस आईटम के लागत मूल्य के 0.5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी। (vi) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से मिन्न कम्ण उद्योगों जिनके मामले औधींगिक और वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड

के शमवा लिमात है, के मामले में आइटम्स के लागत मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर होगी।

(1) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(2) प्रतिभृति राशि निम्न रूप में होगी-

(i) नकद / बैंक ड्रापट / बैंकर्स चैंक

(ii) डाकघर बयत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगी।

(iii) अल्प बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगी। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र डिफंस/ सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र या कोई अन्य रिकप्ट/चिलेख यदि इन्हें गिरवी एखा जा सकता हो। इस प्रमाण पत्रों को चनके समर्पण मूल्य सरेण्डर मूल्य पर स्वीकार किया जायेगा।

20. प्रतिमृति राशि का समपहरण :- प्रतिभृति की राशि को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निम्नलिखित मागलों में

(क)जब संविदा की किसी शर्त / अथवा शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ख)जब बोलीवाता सम्पूर्ण सामग्री की आपूर्ति / सामानसंतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो। (ग)प्रतिभृति निक्षेप को समप्रहरण करने के सामले में युक्तियुक्त समय पूर्व मोटिस दिया जायेगा। इस सन्यन में केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(घ) सामानमें असफल रहने पर परिषद हारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने पर उसमें जो भी व्या होगा बोलीदाता से लसकी प्रतिभूधि राशि में से अथवा उसको देय बिल की राशि के मुगतान में से वर् जायेगी। यदि वसुली करना सम्मव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट या प्रवृत्त अन्य किसी कानून व अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

21, जुपर्दगी अवधि :--

 (i) निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जायेगी को विभाग द्वारा आवश्यकता एवं सुविधानुसार कार्य/अनुबंध का आदेश दिया जा सक्तमा ।

(ii) यदि केता अधिकारी किन्हीं मिविदा वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपन्न में मिदिष्ट मात्रा से कम मात्रा में खरीदता है तो निविद्यादाता किसी वातिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

22. परिसमापित जुकसानी :-परिनिर्धारित क्षातियाँ के साथ सुपुर्वंगी अवधि में वृद्धि करने के मामले म वसूली निम्नलिखित प्रतिशतना के आवार पर उप स्टोर के मूल्यों के लिए की जावेगी जिनको निविदादाता

(क) विहित सामानअवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशता।

- (ख) एक वौधाई अवधि से अधिक किन्तु चिन्हित अवधि की आधी अवधि के लिए 5 प्रतिशत।
- (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु निष्ठित अवधि के तीन चौधाई से अधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत । (ध) निहति अवधि के तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत ।

(ड.)यदि प्रदाय कर्ता किन्ही बाधाओं वे कारण सविदान्तर्गत सामानपूर करने के लिए समय में वृद्धि करना चोहता है तो यह लिखित में आवेदन करमा न कि सामान पूर्ण होने की निर्धारित वारीख के बाद करेगा।

(ट) यदि सामानकरने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सामानकी

23. वसूली :-परिनिधारित क्षतियों कम सम्लाई, दूट फूट या रदद की गई वस्तुओं/अनुख्य के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। कम राप्लाई दूट फूट, किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेंगा तथा यदि प्रदायक सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (एल डी.) के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विमाग के पास उपलब्ध प्रतिभृति निपेक्ष से की जायेगी। यहि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट या किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की

24. प्रदाय किये जाने वाले सामान की दरें आदि का विवरण निविदा प्रारूप पर ही अंकित किया जावेगा। मुधक स

25. रिस्क एण्ड कोस्ट परचेज :- निविदावाता द्वारा आदेशित सामान निर्धारित अवधि में नहीं किये जाने पर विभाग द्वारा सामान स्थानीय बाजार से निविदादाता की रिस्क एण्ड कोस्ट पर की जा सकेगी।

26. निविदा के किसी भी भाग को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का विभाग को पूर्ण

27. यदि संविदा के निर्वधन आशय या संविदा की शतों के उल्लंधन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन होता है तो उसका निर्णय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा किया जाएगा जो अन्तिम होगा एवं समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर शहर होगा

28. वित्तीय शिख में दी गई आईटम वाईज हर के आधार पर न्यूनतम दरदाता फर्म की आईटमवार निविदा या

29. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक छपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013

30. राफल बिखदाता आईटम सप्लाई अथवा उसके किसी हिस्से को किसी अन्य फर्म को Sublet नहीं करेगा। 31. सामानसंतोषजनक नहीं होने पर 30 दिवस के नोटिस पर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा तथा धरोहर राशि

32. बिड में अंकित वरें समस्त प्रकार के प्रथलित करों सहित होनी चाहिये। पृथक से फोई प्रभार देय नहीं है। 33. न्यूनतम/सर्वाधिक लामप्रद बोलीदाल का चयन आईटम वाईज या इकजाई रेट के आधार पर किया जावेगा। इस सम्बन्ध क्रय समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

- 34. आईटम्स वाईज दर अंकों एवं सब्दों में ध्यानपूर्वक मरी जावें तथा कुल योग की गणना भी ध्यानपूर्वक व जावें। अंको एवं शब्दों अथवा कुल पोग की गणना में अन्तर होने की रिधति में आईटम की रेट जंको ए शक्यों में लिखी गई में से जो न्यूनलम होगी उसको अन्तिम माना जावेगा। ३५, भुगतान :--भुगतान प्रतिभाह कार्यानुसार विया जायेगा।
- पूल बन्द होने की स्थिति में क्रेता अधिकारी द्वारा किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया जावेगा। H.
- बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उधित प्रारूप में लोक उपापन नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत वारने पर चुगतान किया जायेगा। सभी प्रषण प्रमार बोलीदाता द्वारा वंडन किये जायेंगे। किसी भी
- IV. विवादास्पर्य मदों में राशि का 10 प्रतिसत से 25 प्रतिसत तक को रोका जायेगा तथा उस
- उन मामलों में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाये तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित निर्वेशी के अनुरूप हों।
- 36. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :--
 - (i) यदि भागीदारी कर्म हो तो "पार्टनर शेष डीव" की अनुप्रमाणित प्रति।
 - (ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीवन संख्या
 - (iii) एक मान स्वामित्तव के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
 - (iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के समिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।
- 37. किसी भी निविदा/बिंड को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार भिन्न
- 38, राज्य से वाहर की फर्म की दरें न्यूनतम जाने पर उस फर्म का राजस्थान में ब्रांच ऑफिस होगा अनिवार्य है। 39 ब्लेक लिस्टेंड फर्म की निविदाएं स्वीकार नहीं है।
- 40. निविदा प्रणाली RTPP Act 2012, Rules 2013के अनुसार होगी।
- 41. तंग करने वाली अपीले या परिवाद:- जो कोई भी किसी उपापन में विलम्ब कारित करने या उसे विफल करने या किसी जपापन संस्था या किसी अन्य बोली लगाने वाले को हानि कारित करने के आशय से इस अधिनियम के अधीन कोई तंग करने वाली, तुच्छ या हेपपूर्ण अपील या परिवाद दाखिल करता है, वह ऐसे जुमनि से दण्डनीय होगा जो राशि बील लाख रूपये या उपापन के मूल्य के पांच प्रतिसत जो भी कम हो.
- 42 प्रतिभूति निक्षेप / सामानसम्पादन प्रतिभूति:- सफलतम बोली लगाने वाले को कुल रकम का 2.5 प्रतिशत अलग

मैंने / हमने उपर्युवल समरत शर्ते व्याननूर्वक पढ़ ली हैं। मैं / हम इनका निष्पादन करने के लिए बाध्य है।

निविदादाता के हस्ताकर (निविद्यः की समान्धा शार्त स्वीवनस् करने के प्रमाण-स्वरूप)

निविदादाताओं हारा घोषणा

मैं / हम / घोषणा करता हूँ / करते हैं कि मैंने / हमने जिन् मालो / सामानों / उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका / उनके / मैं / हम / बोनाफाइन विनिर्माता / थोक विकेता / सोल वितरक / प्राधिकृत डीलर / डीलर / सोल विकय / विपण-

यदि यह धोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव वाले बिना भेरी/हमारी प्रतिभृति को पूर्ण रूप से समपडात किया जा सकेंगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद किया

> निविदादाता के हस्ताक्षर मय मुहर पूर्ण पता— टेलीफोन न

शपथ-पत्र

यह कि मेरी फर्म एवं मेरी फर्म का प्रबन्धक किसी भी अपराधिक प्रवृत्ति में खिप्त नहीं है। और न ही किसी भी राजकीय विभाग/अर्द्धसरकारी संस्थान द्वारा पूर्व में ब्लेक लिस्टेड/अमानत राशि जब्त कर

निविदादाता के हस्ताकर मय मुहर

पूर्व पता-

टेलीफोन न

कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

(निविदा प्रपन्न-तकनीकी बिड) परिशिष्ट "अ"

	घोषणा
1. 18	विद्य सामान सप्लाई के लिए निविदा।
1,1250 0493	13.41 MATEL WAY 2 20-0 - 1
31	विदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम
4.5	भाष एवं फैक्स स्वयं क्रे
	क का पूर्ण पता
3. PH	del their
4. सन	वर्ग - विकास करना ह :- निदेशक राजस्थान प्रक्रिक
जो	ानावदा सूचना संख्या :- अर्थात अकादमा, जयपुर
में च	दर्भ :- निवेदा सूचना संख्या :- दिनांक दिनांक (समाचार पत्र का नाम) दिनांक
5. निवि	ET WORK SE ST
विसा	क पुरुष :- संशि रूपये विकार के १०
6. 277	वि शुल्क :- सिंश रूपये विकर चैक/ हिमाण्ड झाण्ट संख्या निविदा सूचना संख्या
अर्ज	में नंगि
पाली	निविदा लूचना संख्या
grant grant	पर उनमें वर्णित शर्तों को रही कार किये जाने के प्रमाण— स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा परिशिष्ट भर जुदा संलग्न है। इस शुदा संलग्न है।
7 270 70	धर शुदा संलग्न है। "सं को स्थाकार किये जाने के प्रमाण- स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये है लगा प्रकार
7 0.1 17	हरत है कि विमाग द्वारा निविदा सूचना में अंकित समयावधि में विविध सामान की सप्लाई कर दी अपने करते हैं कि प्रसात को अपने क
o one	। प्राप्त समयाविध में विविध सामान की स्वानवं
0. 84 4	प्रमुख्ति करते है कि प्रस्तत दारे "तक्की के क
61	तम्युष्टि करते हैं कि प्रस्तुत दारें, ''तकनीकी बिड' में खुलने की तिथि से 90 दिन तक विधि मान्य राजस्थान बिकी कर पंजियन जी गण के
व. हमारा	राजस्थान विकी कर पंजियन जी.एस.टी. संख्या
10, 84 전1	पुष्टि करते हैं कि आक्रमान कर पंजियन जी.एस.टी. संख्या
11. हम सम	क्टि करते है कि आवश्यक व्यवस्थान में निविदा निरस्त योग्य है।
दश्तविव	पुष्टि करते हैं कि आवश्यक दस्ताचेज के अभाव में निविदा निरस्त योग्य हैं। इस्ति संस्था के अभाव में निविदा निरस्त योग्य हैं। इस्तिम किये गये हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं:-
C.M. P	भकार ह:-
12/1/10	Type Of Certificate & Other Inf.

and the same of th	Type Of Certificate & Other Informations	-	
L	Whether Tender Fee Document Is Submitted With Open Tender, Provide Whether EMD Document Is Submitted With Open Tender, Provide	Yes/ No	Date Of Issue/
2.	Details Banker Cheque/Dd No. Whether EMD Document (Bid Security Declaration) Submitted With Open Tender, Provide Open Tender Dt		Validity
4	Open Tender Dt		
	Whether Bidder Status In S.R. For In -11 is Submitted With Open Whether GST Page 1		
	Whether GST Registration Certaficate/Undertaking Is Submitted With Open Open Tender Whether Pan Casel Course		
	Open Tender Whether Pan Card Certificate is Submitted With Open-Tender	-	

12. हमारे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज हिन्दी अथवा अग्रेजी भाषा में तथा अन्य भाषा में होने पर उनका हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रमाणित स्वान्तरण भी प्रस्तुत किया गया है। 13 हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिंह हमारे द्वारा खुली-निविदा में निर्धारित वरीके से प्रस्तुत की गई है।

- क.संख्या (11) मे अंकित संलग्न दस्तावंजा को प्रस्तुत किया है अथवा नहीं उसके आगे "Yes or "No अंकित करना आवश्यक है इसका उत्तरदायित्व निविदादाता का है इसके अभाव में निविदा अमान्य कर निविदा मरने की प्रकिया :-

(ए)तकनीकी बिंड के साथ समस्त प्रमाण पत्र स्वं हस्ताक्षर उपरान्त निर्धारित राशि खुली-निविदा के साथ संलग्न करना होगा तथा निर्धारित दिनाक एवं समय पर प्रस्तुत किये जावेंगे।

(बी)बोलीदाता को एक लिफाफे में तकनीकी बिड जिसमें बोली के तहत मांगे गर्थे डी.डी./बैकर्स वैक, फार्न व हस्तावार युक्त बिंड प्रपन्न तथा तकनीकी बिंड में मांगे गये समस्त दस्तावेज रखकर सीलवन्द करना होगा तथा दूसरे लिफाफे में विक्तीय बिंड में अपनी प्रस्तावित दरें निर्धारित परिशिष्ठ में भरकर इस लिफाफो को सीलबन्द करना होगा। तथा इन दोनो बन्द लिफाफो को एक तीसरे लिफाफो में रखकर इसे सीलवन्द कर उस पर सम्बंधित निविदा कार्य का नाम तथा बोलीदाता फर्म का नाम पता व दूरभाष/मोबाईल नम्बर लिखकर प्रस्तुत करना होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest Any person participating in a procurement process shall -

not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.

not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.

not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to (c) impair the transparency, fairness and progress of the procurement process.

not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process.

not indulge in any coercion including impairing or harming or ththreatening (e) to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to (f) (g)

not obstruct any investigation or audit of a procurement process.

disclose conflict of interest, if any; and

disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
 - a. have controlling partners/shareholders in common; or
 - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of
 - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the

disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods,

Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding qualifications Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Bids No. Dated I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act. 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the

2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the

3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.

5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition.

Date:

Signature of bidder

Place:

Name:

Designation:

Address:

C:\Users\h\Desktop\backp 29-3-22\Nivida condition new 1.doc

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is The designation and address of the Second Appellate Authority is.....

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Ducument within a period of ten days from the date of such decision of action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluated thae Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to he acceptable.

- (2) The officer whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- If the officer designated under para (1) fails to dispuse of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder of prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the first appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the espiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the Firsst Appellate Authority, as the case may be.

Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the

- (A) Determination of need of procurement;
- Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process; (C)
- The decision of whether or not to enter into negotiations; (D)
- Cancellation of a procurement process;

C:\Users\h\Desktop\backp 29-3-22\Nivida condition new 1.doc

(E)Applicability of the provisions of confidentiality

Form of Appeal

- An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form (A) along with as many copies as there are respondents in the appeal. (B)
- Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of
- Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second (C) Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal

- Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for (A) second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be nonrefundable.
- The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's (B) cheque or a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,
 - hear all the parties to appeal present before him; and
 - peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- After hearing the parties, perusal or inspection of documents and (c) relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of the parties to appeal free of cost,
- The order passed under sub-clause© above shall also be placed on the (d) State Public Procurement Portal.

FORM No. 1

Pi	emorandum of appeal under the Rajasthan Transparency in Public
Al	megl No.
i. 1.	A Bidd Particulars of appellant: (i) Name of the appellant: (ii) Official address, if any: (iii) Residential address:
2.	Particulars of appellant: (i) (ii) (iii)
3.	Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement the provisions of the Arthur and the Procuring Entity in contravertion
4.	postal address of the
6.	rantoci of ailidavits and document
7.	Grounds of appeal : (supported by an affidavit)
	Prayer
	Date

appellant's signature

Annexure D: additional conditions of contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial bids on the

- If there is a discrepancy between the unit price and the total price that I. is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price. In which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected:
- If there is an error in a total corresponding to the addition or II. subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall
- If there is discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount n figures shall prevail

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be expected

2. Correction of arithmetical errors

At the time of award of contract, the quantity of goods, works or. Services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of the Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered C:\Users\h\Desktop\backp 29-3-22\Nivida condition new 1.doc

3. Dividing quantities among more than one Bidder at time of award (In case of procurement of Goods)

As general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However When it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature. In such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lower Bidder or even more Bidder, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.